2012/00059

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 316/2012 (अपील)

उनवान

सत्यनारायण आ0 जगन्नाथ जाति ब्रा0 निवासी टोडी मोहल्ला मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. राधेश्याम आ0 स्व0 श्री औंकार जाति अहेडी राजपूत निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कजोड आ0 श्री औंकार जी
3. श्रीमती बिरधी बाई बेवा स्व0 श्री औंकार
4. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री औंकार
5. श्रीमती समुत्रि पुत्री श्री औंकार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. सरकार जर्ये नायब तहसीलदार जिला कोटा (रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– श्री बिरधी चन्द श्रृंगी (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश दिनांक 24.02.2004
नामान्तरकरण सं0 756

निर्णय दिनांक : 29.11.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश दिनांक 24.02.2004 नामान्तरकरण सं0 756 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसील मण्डाना ने स्व0 औंकार का फोती नामान्तरकरण सं0 756 बिना तहकीकात किये तथा पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे के संबंध मे जांच किये ही एक पक्षीय आधार पर तस्दीक किया जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खेवट खतोनी सं0 385 पुरानी 43 की खसरा नं0 111 बाडा की आराजी 0.73 हैक्टर किस्म बारानी ग्राम मण्डाना मे स्थित है । जिसके पूर्व खातेदार स्व0 औकार आ0 श्री गोविन्दा जाति अहेडी राजपूत थे । जिन्होने अपने जीवन काल मे उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 30,000/–रूपये मे दिनांक 26.05.95 को अपीलान्ट को बेचान कर दी थी तब से आज तक लगातार अपीलान्ट का बहैसियत खातेदार कृषक कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है । उक्त विक्रय की गई भूमि की जानकारी रेस्पो0 को भी है । लेकिन उन्होने उक्त तथ्यों को छिपाकर अपने नाम स्व0 औकार का फौती नामान्तरकरण अन्य आराजी ख0 नं0 1561 के साथ साथ अपीलान्ट की क्रय की हुई तथा अपीलान्ट के कब्जे की आराजी का नामान्तरकरण भी अपने नाम खुलवा लिया है जो कि आराजी ख0 नं0 111 के संबंध मे हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । उक्त आराजी का पूर्व मे अपीलान्ट के नाम इन्तकाल खोल दिया गया था लेकिन तहसील द्वारा गलत रूप से अहेडी राजपूत जाति को शिडयूल कास्ट मानकर धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही की तथा अपीलान्ट के पक्ष मे तस्दीक किया गया नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही 175 आर.टी.एक्ट

स्वीकार करने पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश की अपीलीय न्यायालय मे चेलेन्ज किया तथा अपीलीय न्यायालय ने स्व0 औंकार की जाति को स्वर्ण जाति मानकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जो वर्तमान मे लंबित है । इस प्रकार तहसील मे उक्त पूर्ण रिकार्ड था तथा ख0 नं0 111 के संबंध मे अदालत मे मामला लंबित होने पर भी आराजी ख0 नं0 111 का भी नामान्तरकरण सं0 756 रेस्पो0 के नाम तस्दीक करने मे त्रुटि की है । जो ख0 नं0. 111 तक की हद तक हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । आदेश जेर अपील नामान्तरकरण अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है ।अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.11.2010 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई उक्त प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 19.11.2010 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त कर अपीलान्ट अविलम्ब यह अपील पेश की गई । अतः सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 04.11.2010 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 19.11.2010 तक डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अपील नामान्तरकरण सं0 756 आराजी ख0 नं0 111 के संबंध मे निरस्त किया जावे तथा उक्त आराजी को अपीलान्ट के खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. दौराने बहस रेस्पो0 के अभिभाषक अनुपस्थित रहे विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमे कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 111 रकबा 0.73 हैक्टर ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा पूर्व खातेदार स्व0 औकार आ0 गोविन्दा जाति अहेडी राजपूत निवासी मण्डाना से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.1995 को खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण सं0 446 खारिज कर आराजी पर धारा 175 राज0 टी0 एक्ट के तहत सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा मे वाद प्रस्तुत किया ।जिसका आधार आराजी का खातेदार अनुसूचित जाति मानते हुये नियम विरूद्व बेचान मानकर पेश किया गया । उसके निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे किये जाने पर अपील मंजूर कर वाद को सहायक कलक्टर न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । इसी आराजी का नामान्तरकरण सं0 756 नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा पुनः तस्दीक कर कानूनी रूप से त्रुटि की गई है जबकि स्वंय नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा उक्त आराजी का धारा 175 आर0टी0 एक्ट का वाद पेश कर रखा है जिससे आराजी की नेचर ही बदल चूकी है । चूंकि विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय – पत्र अपीलांट द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय की गई है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 756 निरस्त कर आराजी को अपीलांट के खाते दर्ज की जावे । दौराने बहस रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की लिखित पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण सं0 756 दिनांक 24.02.2004 के विरूद्व अपील दि0 29.11.2010 को प्रस्तुत की है ।अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है व विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा पेश किये गये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से साबित होता है कि विवादित खसरा नं0 111 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा को पूर्व खातेदार श्री औकार सिंह आ0 गोविन्द सिंह जाति राजपूत अहेडी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय अपीलान्ट को किया गया परन्तु जमाबंदी सं0 2057–60 मे खातेदार की जाति अहेडी होना पाया जाता है । अपीलान्ट की बहस के अनुसार उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर विवादित आराजी का नामांतरकरण सं0 446 खोला गया था जो खारिज कर धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही मे राजकीय पक्ष के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत

धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 21.04.2003 से विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपीलांट द्वारा दिनांक 04.09.2003 को निर्णय पारित कर यह निर्धारित किया कि भूमि विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति मे है या नही, इस बाबत गंभीर जांच की आवश्यकता है जो दावे मे तय की जायेगी । उक्त निर्णय द्वारा रिसीवर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर औंकार के वारिसान को आराजी को ता फैसला वाद विक्रय,दान,रहन आदि से खुर्दबुर्द नही करने हेतु पाबंद किया गया । अपीलांट द्वारा बहस मे धारा 175 राज0 टी0 एक्ट का वाद वर्तमान मे विचाराधीन होना भी बताया गया है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुये तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 04.09.2003 मे दिये गये निर्देशों के क्रम मे भूमि विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति में है या नही, की जांच हुये बिना नामांतरकरण क्रेता के हक मे खोला जाना उचित होना नही पाया जाता है ।

प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक औंकार पुत्र गोविन्दा के वारिसान के हक मे खोला गया है जबकि अपीलांट भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने के आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है । परन्तु चूंकि विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति है या नही, बाबत जांच अभी तक होना नही पायी जाती है । अतः विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के हक मे नामान्तरकरण खोला जाना उचित होना नही पाये जाने से तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का वाद न्यायालय मे विचाराधीन होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा